A12

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या/13/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 24.01.2019

श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197, थाना के सामने, इन्दिरा कॉलोनी, रावतभाटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी • जिला कलक्टर •

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 19.02.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.11.2018 को प्रस्तुत किया। जिस पर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 13/2019/(19.02)/61 दिनांक 24.01.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.02.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 19.02.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे श्री सुशील कुमार प्रशिक्षु आई. ए. एस. चित्तौड़गढ़ की जांच प्रतिवेदन की सूचना मांगी थी जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त सूचना उपलब्ध कराई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 13 / 2019 (सू.अ.)
श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2019 / 29 दिनांक 28.01.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः—

1. यह है कि प्रार्थी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा पिता सिंहेश्वर निवासी 197, इन्दिरा कॉलोनी, रावतभाटा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2018 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 20.11.2018 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना का संबंध सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय से होने से इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / 2018 / 2020 दिनांक 22.11.2018 से प्रभारी लिपिक, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय को भिजवाया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी लिपिक सतर्कता अनुभाग के पत्रांक / सतर्कता / आर.टी.आई. / 2018 / 3733 दिनांक 17.12.2018 से सूचना कुल किता 07 प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / 2018 / 2020 दिनांक 16.01.2019 से रजिस्टर्ड ड़ाक द्वारा भिजवा दी गई है। (छाया प्रति संलग्न है।)
4. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2019 / 16 दिनांक 15.01.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ /

Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 13 / 2019 (सू.अ.)
श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

2019 / 2020 दिनांक 16.01.2019 (रजिस्टर्ड) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना कुल किता 07 उपलब्ध कराई जा चुकी है।

जहां तक अपीलार्थी का कथन है कि उसे, श्री सुशील कुमार प्रशिक्षु आई. ए. एस. द्वारा की गई जांच की प्रतियां / सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ की उक्त आवेदन पत्र से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2018 को सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन में श्री सुशील कुमार प्रशिक्षु आई. ए. एस. की जांच रिपोर्ट चाहने संबंधी तथ्यों का कहीं अंकन नहीं किया है तथा बाद में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर आवेदन की छायाप्रति पर उक्त तथ्य का अंकन अलग से करके भिजवाया गया है जिससे अपीलार्थी का कथन कि उसे श्री सुशील कुमार प्रशिक्षु आई. ए. एस. द्वारा की गई जांच की प्रतियां / सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है मानने योग्य नहीं है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक 2020 दिनांक 16.01.19 (रजिस्टर्ड) से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 13 / 2019(सू.अ.) / 117 दिनांकः– 19 / 02 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197, थाना के सामने, इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड नं. 05, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)